झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सीएमपी संख्या 874/2019

- - - -

केशव राय, उम्र लगभग 69 वर्ष, पिता- स्वर्गीय जय नारायण राय, पता- शांति निकेतन, दीप नगर घाट, डाकघर- भागलपुर, थाना- आदमपुर, जिला- भागलपुर (बिहार)।

... ... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. उपायुक्त, साहेबगंज, डाकघर और थाना- साहेबगंज, जिला साहेबगंज।
3. अपर समाहर्ता, साहेबगंज, डाकघर और थाना- साहेबगंज, जिला साहेबगंज।
4. अंचल अधिकारी, साहेबगंज, डाकघर और थाना- साहेबगंज, जिला साहेबगंज।
5. अनुमंडल अधिकारी, साहेबगंज, डाकघर और थाना- साहेबगंज, जिला साहेबगंज।
6. उमा शंकर राय, पिता- स्वर्गीय राम प्रसाद राय, ग्राम- ढढ़नी, डाकघर और थाना- सुहवाल, जिला गाजीपुर (उ.प्र.)

... ... **उत्तरदातागण**

- - - -

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

- - - -

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री स्वामी नाथ प्रसाद राय, अधिवक्ता

ओ.पी.- राज्य की ओर से : श्री शशांक सौरभ, जीपी II के एसी

आदेश संख्या 03 : दिनांक 29 जुलाई, 2021

इस मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री स्वामी नाथ प्रसाद राय ने निवेदन किया है कि इस सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना स्वीकार करते हुए रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2953/2019 को मूल फाइल में बहाल किया जाए अन्यथा याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

श्री शशांक सौरभ, जीपी II के एसी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित होकर निवेदन करते हैं कि यदि उक्त रिट याचिका को मूल फाइल में बहाल किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

यह न्यायालय, इस सिविल विविध याचिका में दिए गए कारण तथा याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वचनबंध पर विचार करने पर, जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 16.10.2019 को पारित आदेश का पालन करते हुए रिट याचिका की बहाली की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कार्यालय द्वारा रिट याचिका में बताई गईं त्रुटियां दूर कर ली जाएंगी; यह न्यायालय रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2953/2019 को मूल फाइल में बहाल करना उचित समझता है।

इसके मद्देनजर, याचिकाकर्ता को अगले तीन सप्ताह की अवधि के भीतर त्रुटियों को दूर करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2953/2019 को मूल फाइल में बहाल किया जाता है।

रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 2953/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 को तदनुसार संशोधित किया जाता है।

तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

अलंकार/-